

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव सं० FP/UP/ROAD/35326/2018

विषय:—जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्लू०ई०) के अन्तर्गत 'रामपुर बरकोनिया वाया मऊकला से लौवा सम्पर्क मार्ग' कि.मी. 00.000 से 20.200 तक के निर्माण हेतु कुल 8.010 हेक्टे० वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

CCF, Mr. Zaphu की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।

(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए।)

16/1/2020

पंकज मिश्र
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
उ० प्र०, लखनऊ।